न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :— **113/2015**

GCMS NO. 2015/00740

बनवारी लाल औंकार जाति गुर्जर उम्र 80 वर्ष निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) **(मृतक)**

1/1. केशरी देवी पत्नि स्व. बनवारी
1/2. रामसिंह पुत्र स्व. बनवारी
1/3. रामकिशन पुत्र स्व. बनवारी
1/4. कैलाश पुत्र स्व. बनवारी
1/5. पप्पु पुत्र स्व. बनवारी
1/6. अभयसिंह पुत्र स्व. बनवारी
1/7. भाती पुत्री स्व. बनवारी
1/8. सन्तरा पुत्री स्व. बनवारी
1/9. धन्नी पुत्री स्व. बनवारी
1/10. अनिता पुत्री स्व. बनवारी

................................वादी/वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र स्व. महादा जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
2. पूर्णमल पुत्र चन्द्रराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
3. हनुमान पुत्र सूरजाराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
4. महाराम पुत्र बाबुलाल जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
5. कालू पुत्र बाबुलाल जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
6. चिड़िया पत्नी स्व. बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
7. गुगनराम पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
8. शिवकुमार पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
9. खमलिया पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
10. झुमादेवी पत्नी स्व. हरिराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
11. औमप्रकाश पुत्र स्व. हरिराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
12. कंवरसिंह पुत्र स्व. हरिराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
13. जयसिंह पुत्र स्व. हरिराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
14. अजयकुमार पुत्र स्व. हरिराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
15. शारदा पुत्री स्व. हरिराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
16. रामसिंह पुत्र मक्खन जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
17. बिहारी पुत्र फुसाराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
18. किशोरी पुत्र फुसाराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
19. संतकुमार पुत्र फुसाराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
20. छोटेलाल पुत्र फुसाराम जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

21. शेखावाटी ग्रामीण बैंक शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
22. उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)।

..............................प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री महीपाल दौराता अधिवक्ता वादीगण की ओर से

दावा :– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती एवं खाता विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19–01–2023

वादी की ओर से दिनांक 03–08–2015 को इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि :–

1. यह कि वाके ग्राम रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान स्थित हाल खसरा नम्बर 213 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 721 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 840 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 848/406 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 5.75 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के नाम से खातेदारी काश्तकारी दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 0.90 हैक्टेयर दर्ज है।
2. यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. महादा पुत्र श्योदान से दिनांक 26–12–1983 को गत खसरा नम्बर 724 की 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि पर काबिज काश्त हो गया था तथा आज भी वादी अपनी खरीदशुदा भूमि पर बिना किसी बाधा के सभी को जानकारी में खुल्ले रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु वादी का नाम अभी तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है।
3. यह कि वादी ने उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता महादा पुत्र श्योनाथ से खरीद की थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का देहान्त हो चुका है और अब भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मूें दर्ज है, जबकि मौके पर वदी अपनी खरीदशुदा भूमि 1 बीघा 19 बिस्वा यानि 0.4875 हैक्टेया भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। केवल राजस्व रिकार्ड में नाम ही दर्ज नहीं है, जबकि वादी का कब्जा बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादी ने अपनी खरीदशुदा भूमि पर बाजरे की फसल काश्त कर रखी है।
4. यह कि गत खसरा नम्बर 724 से हाल खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हैक्टेयर निर्मित हुए है तथा वादी खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 721 रकबा 0.48 हैक्टेयर के 0.0375 हैक्टेयर भूमि यानि 0.4875 हैक्टेयर भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है, जिसकी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।
5. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई और अब वादी को धमकी दे रहा है कि वह गलत रिकार्ड की आड़ में भूमि रहन, बेचान, दान आदि कर खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है और कब्जा काश्त में भी दखलजांदी पैदा करने की धमकी दे रहा है जबकि उसे ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है।
6. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 अगर वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में दखलजांदी पैदा करता है या वादी की क्षातेदारी की भूमि जो अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उसको रहन, बेचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तानान्तरित कर देता है तो वादी की अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
7. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि जो वादी के खरीदशुदा भूमि है उसका नामान्तकरण दर्ज नहीं होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलत रिकार्ड की आड़ में भूमि रहन, दान, बेचान आदि की व खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने से पैदा हुआ है। अतः दावा अंदर मियाद है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

8. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान स्थित है जो न्यायालय श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान्जी को प्राप्त है।
9. रूह कि दावा निर्धारित कोर्ट फीस पर सेवामें पेश है।
10. यह कि वाद वर्णित भूमि का हाल राजस्व रिकार्ड अपडेटेड पेश किया है। वादी ने कोई रहन, बेचान आदि नहीं किया है। शपथ पत्र संलग्न है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(ए) कि वाके ग्राम रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझनूं राज. स्थित भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 721 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 0.0375 हैक्टेयर यानि कुल 0.4875 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम की जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

(बी) कि वाके ग्राम रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझनूं राज. स्थित भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 721 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 0.0375 हैक्टेयर यानि कुल 0.4875 हैक्टेयर भूमि का खाता अलग से विभ्झाजित कर लगान भी अलग से कायम किये जाने की कृपा करें।

(सी) कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाके ग्राम रवां स्थित भ्भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 721 रकबा 0. 48 हैक्टेयर भूमि में वादी के 0.4875 हैक्टेयर भूमि में कब्जा काश्त में दखलजांदी पैदा ना करे एवं फसल काटने, लाटने में कोई व्यवधान पैदा ना करे एवं ना ही उक्त भूमि को रहन, दान, बेचान आदि कर खुर्द–बुर्द करे ऐसा ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादी संक्ष्या 22 व 23 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीबद्व ना करे।

(डी) कि वाद वादी डिक्री किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से आयाचित रह गया हो वादी को दिलवाये जाने की कृपा करें।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 20 के विरूद्ध वादी/वादीगण का कोई अनुतोष नहीं होने से तथा प्रतिवादी संख्या 21 से 23 सरकारी पक्षकार होने से इनकी तलबी बन्द की गई।

वादीगण की ओर से निम्न साक्ष्य पेश की गई :–

1. नकल जमाबन्दी संवत 2068–2071 ग्राम रवां खाता संख्या 250 (प्रदर्श–1)
2. खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम रवां (प्रदर्श–2)
3. विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1983 की प्रति (प्रदर्श–3ए)
4. नकल जमाबन्दी संवत 2018–2021 ग्राम रवां (प्रदर्श–4)
5. मौका कमिश्नर रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत दूधवा नागंलिया दिनांक 13.01.2023 (प्रदर्श–5)

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रलेखीय दस्तावेजात् व वादी के वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि ग्राम रवां स्थित गत भूमि खसरा नम्बर 724 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा की संयुक्त खातेदारी अन्य खसरा नम्बरों के साथ सुरजा, महादा, हजारी खमलीया पुत्र स्योनाथ कौम गूर्जर निवासी रवां के नाम संवत 2018 से 2021 में दर्ज रिकार्ड रही है। इसी आधार पर महादा पुत्र स्योनाथ ने गत खसरा नम्बर 724 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा को अपने हिस्से में होना मानते हुये वादी मृतक बनवारी पुत्र औंकार जाति गूर्जर निवासी रवां को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26–12–1983 को गत खसरा नम्बर 724 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण का बेचान किया गया है। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 724 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हेक्टेयर निर्मित हुये है। वर्तमान में महादा की मृत्यु हो चुकी है। महादा का एक ही विधिक वारिस महावीर प्रतिवादी संख्या 1 है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076–2079 के हाल खाता संख्या 286 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 213, 214, 405, 407, 718,

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

721, 722, 839, 840 848/406 किता 10 कुल रकबा 5.20 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 9/65 हिस्सा अर्थात रकबा 0.72 हेक्टेयर दर्ज रिकार्ड है।

मौका कमिश्नर भू अभिलेख निरीक्षक वृत दूधवा नागंलिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 13–01–2023 के अनुसार खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हेक्टेयर पर मृतक वादी बनवारी के वारिसान वादी संख्या 1/1 से 1/10 का ही कब्जा काश्त है तथा यही मृतक के विधिक वारिसान है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रलेखीय दस्तावेताज् से यह स्पष्ट है कि विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1983 का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ है तथा विक्रेता के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त भूमि में रकबा 0.72 हेक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है। विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1983 के आधार पर वादी/वादीगण का वाद संदेह से परे साबित होता है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1983 के आधार पर वादी/वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। लिहाजा

—: आदेश :—

अतः वादी/वादीगण का हस्तगत वाद विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1983 के आधार पर स्वीकार कर राजस्व ग्राम रवां पटवार मण्डल रवां स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हेक्टेयर का वादी संख्या 1/1 से 1/10 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। घोषित रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से कम किया जाये तथा उक्तानुसार खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हेक्टेयर का खाता वादीगण के नाम अलग से कायम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलदांजी नहीं करें। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **19—01—2023** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

(मृतक) बनवारी लाल

बनाम

महावीर आदि

दावा बाबत :– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :– 113 / 2015
GCMS NO. 2015 / 00740
निर्णय दिनांक :– 19–01–2023

वादीगण की ओर से **श्री महीपाल दौराता एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से **कोई नहीं** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **19–01–2023** को **जय सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

" वादी / वादीगण का हस्तगत वाद विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1983 के आधार पर स्वीकार कर राजस्व ग्राम रवां पटवार मण्डल रवां स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हेक्टेयर का वादी संख्या 1/1 से 1/10 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। घोषित रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से कम किया जाये तथा उक्तानुसार खसरा नम्बर 722 रकबा 0.45 हेक्टेयर का खाता वादीगण के नाम अलग से कायम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलदांजी नहीं करें। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **19–01–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner